Exemption from stamp duty and registration fee

4.2.13 स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूटः–

अ. ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो नवीन, विस्तार, डायवर्सिफिकेशन एवं आधुनिकीकरण के लिये ऋण प्राप्त करती हैं, को ऋण संबंधी बंधक पत्रों अनुबंध निष्पादन में लगने वाला पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी निम्नानुसार रहेगी –

जिले की श्रेणी	स्टाम्प ड्यूटी		पंजीयन शुल्क	
	लघु उद्योग	वृहद् एवं मध्यम	लघु उद्योग	वृहद् एवं मध्यम
पिछड़ा 'ब'	100 : छूट	50 : छूट	1 रु.प्रति हजार	सामान्य दर का 50:
पिछड़ा 'स'	100 : छूट	100 : छूट	1 रु.प्रति हजार	1 रु. प्रति हजार
उद्योग विहीन विकास खण्ड	100 : छूट	100 : छूट	1 रु.प्रति हजार	1 रु. प्रति हजार

ब. औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों की भूमि एवं शेड के पट्टाभिलेख पर स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन शुल्क उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्रब्याजी की दर पर लिया जाएगा।

स उद्योग विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में केवल हस्तांतरण शुल्क के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क लिया जाएगा। स्वामित्विक/ भागीदारी इकाईयों में मूल आवंटियों के निकटस्थ रक्त संबंधी (पति/ पत्नि/माता/पिता/पुत्र/पुत्री/भाई/बहन/पोते/पोती) को भूमि/भवन का अंतरण हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ऐसे प्रकरणों में कोई हस्तातंरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। लीज डीड में तदानुसार संशोधन किया जाएगा। ऐसे संशोधन हेतु मात्र रुपये 1000/– स्टाम्प डयूटी व रुपये 100/– पंजीयन शुल्क लिया जाएगा।

द. वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा अधिग्रहित बंद औद्योगिक इकाईयों एवं बीआईएफआर अथवा परिसमापक को संदर्भित बीमार/बंद इकाईयों के विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पूर्णतः माफ किया जाएगा।

इ. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित रुग्ण तथा बंद उद्योगों के हस्तांतरण/विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पूर्णतः माफ किया जाएगा।

फ. यदि किसी औद्योगिक इकाई का वर्तमान प्रबंधन, विगत पांच वर्षों में से तीन वर्षों में उक्त इकाई की स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक पर संचालन करने में सक्षम नहीं रहा है एवं बेहतर क्षमता उपयोग हेतु ष्ब्द हवपदह ब्वदबमतदष के रूप अन्य उद्यमी को विक्रय कर देता है अथवा किसी अन्य कम्पनी द्वारा उक्त इकाई को संविलियन ;डमतहमतद्ध या एकीकरण ;।उंसहंउंजमद्ध कर लिया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन चार्जेस रुपये 10 लाख से अधिक नहीं होगा।

{कंडिका क्रमांक 4.2.13 (अ)}

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 20/10/2004

(26)बी 2–10/04/वाकर/5 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, नये उद्योग स्थापित करने के प्रयोजन के लिए या किसी उद्योग के विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण के लिये अनुसूची में वर्णित वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण अभिप्राप्त करने के संबंध में संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में उद्योगपतियों या औद्योगिक उपक्रमों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कब्जा रहित बंधक की लिखतों पर, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 38 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे दी गई सारिणी में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक छूट या कमी प्रदान करती है :–

सारणी

जिले/ब्लाक की श्रेणी	स्टाम्प शुल्क से छूट/कमी की सीमा	
(मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार)	लघु उद्योग के लिए	मध्यम और वृहद उद्योगों के लिए
(1)	(2)	(3)
पिछड़ा ''ख''	100%	50%
पिछड़ा ''ग''	100%	100%
ऐसे ब्लाक, जिनमें कोई उद्योग नहीं हों	100%	100%

उक्त छूट या कमी निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी कि :–

(क) लघु उद्योग की दशा में केवल उन्हीं मामलों में छूट दी जायेगी जहां अनन्य रूप से प्लांट एवं मशीनरी पर पूंजी विनियोजन की रकम पांच लाख रूपये से अधिक हो तथा वह सेवा या व्यापार की श्रेणी में न आता हो,

(ख) ऋण की सम्पूर्ण रकम का व्यय मध्यप्रदेश राज्य में उद्योग के विकास के लिए ही किया जायेगा, तथा

(ग) आयुक्त उद्योग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आशय का एक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो कि ऋण अभीप्राप्त करने वाला उद्योग इस आदेश के अधीन स्टाम्प शुल्क में कमी या छूट के लिए पात्र है।

यह आदेश इसके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुसूची

(1) मध्यप्रदेश वित्त निगम,
(2) मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम,
(3) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का सं.10) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कंपनी,
(4) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का सं.23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक,
(5) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 (1959 का सं. 38) के अधीन यथा — परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक,
(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 (1970 का सं. 5) के अधीन गठित किया गया तत्स्थानी नवीन बैंक,
(7) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) की धारा 4—क के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता/—
(जगदीश शर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,वाणिज्यिक कर विभाग

{ **Para No. 4.2.13 (A)**}

Govt. of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department
Mantralaya, Vallabh Bhawan, BHOPAL

Bhopal, dated 20/10/2004

:: ORDER ::

(26)B-2-10/2004/CT/V- In exercise of the Powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, (No.II of 1899), the State Government hereby remits/reduces the stamp duty chargeable under article 38 of schedule 1-A of the said Act on instruments of mort gage without possession executed by the Industrialists or the Industrial undertakings in whole of the State of Madhya Pradesh in connection with obtaining term loan, for the purpose of setting up a new industry, or for the expansion, diversification or modernisation of a industry, from the financial institutions mentioned in the schedule, to the extent as specified in the table given below :-

Table

Class of the Districts/blocks (As per classification by the Commerce & Industry Department, Government of Madhya Pradesh)	Extent of remission/reduction of Stamp duty	
	For Small Scale industry	For Medium and Large scale industry
(1)	(2)	(3)
Backward "B"	100%	50%
Backward "C"	100%	100%

Blocks,which have no industry	100%	100%

The aforesaid remission or reduction shall be subject to the conditions, that –

(a) the remission in case of small scale industry shall be given only in cases where the amount of capital investment on plant and machinery exclusively is more than five lakh rupees and it does not come in the category of service or trade;

(b) the entire loan amount shall be spent for the development of the industry in the State of Madhya Pradesh; and

(c) a certificate of eligibility to the effect that the industry obtaining the loan is eligible for the remission or reduction of stamp duty under this order, is issued by the Commissioner of industry, Government of Madhya Pradesh.

.....2

This order shall come in to force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Schedule

(1) Madhya Pradesh Financial Corporation;

(2) Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam;

(3) A banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949);

(4) State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, (No. 23 of 1955);

(5) A Subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (No. 38 of 1959);

(6) A corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1970);

(7) A public financial institution as specified in section 4-A of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956)

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh.
sd/-
(JAGDISH SHARMA)
Deputy Secretery
Govt. of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department
Mantralaya, BHOPAL

{कंडिका क्रमांक 4.2.13 (स)}

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–20/97/04/बी/ग्यारह भोपाल,दि. 22 दिसंबर, 2004

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश
भोपाल।

विषयः–निकटस्थ रक्त संबंधितों के भूमि अंतरण के लिये हस्तांतरण शुल्क का निर्धारण।

———————

उद्योग संवर्धन नीति–2004 एवं कार्ययोजना की कंडिका 4.2.13 (स) के क्रियान्वयन के संबंध में दिनांक 5/8/2004 को आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर से चर्चा के समय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा बतलाया गया कि,रक्त संबंधितो को रियायती दरों/शर्तो पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी पर अंतरण के सिद्वान्त को माननीय उच्च न्यायापलय द्वारा अमान्य किया गया है। अतः उक्त रियायत दिया जाना संभव नहीं है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि उद्योग विभाग हस्तांतरण शुल्क की दरों में उपयुक्त प्रावधान कर रियायतें दे सकता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य मे स्वामित्विक/भागीदारी इकाईयो में मूल आवंटियों के निकटस्थ रक्त संबंधियों जैसे पति/पत्नि/माता/पिता/पुत्र/पुत्री/भाई/बहन/पोते/पोती को भूमि का अंतरण करते समय हस्तांतरण शुल्क रूपये 1000/– निर्धारित किया जाता है। इसके आधार पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क प्रभारित किया जावेगा। यह निर्देश जारी होने की तिथि से लागू होगें।

हस्ता/–
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग एवं रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ—20 / 97 / 04 / बी / ग्यारह   भोपाल,दि. 22 दिसंबर 2004

प्रतिलिपिः—

(1) प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वाणिज्यिक कर विभाग दिनांक 5 / 8 / 2004 को हुई चर्चा के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(2) प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो.लिमि.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(3) प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश औ.के.वि.निगम,भोपाल,इंदौर ग्वालियर,जबलपुर एवं रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(4) महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता / —
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग एवं रोजगार विभाग

{कंडिका क्रमांक 4.2.13}(ब)

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून, 2005

क्र.एफ. (33)बी–2–10–04–2–पांच–भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा अधिग्रहित की गई अथवा अन्यथा बंद या बीमार या औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड (B.I.F.R.) या परिसमापक को संदर्भित औद्योगिक इकाईयों के विक्रय कर की लिखतों पर निम्न शर्तो के अध्यधीन रहते हुए स्टाम्प शुल्क स छूट प्रदान करती है, अर्थात् :–

1. छूट केवल एक बार देय होगी, जिन परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण पर एक बार इस अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क से छूट प्रदान की गई हो, उनके संबंध में किसी भी स्थिति में दोबार छूट प्रदान नहीं की जायेगी,

2. छूट केवल ऐसी बंद एवं बीमार इकाईयों को दी जायेगी जो कम से कम विगत 3 वर्षों से बंद हो अथवा विगत 2 वर्षों से उत्पादन न होने के कारण जिनका स्थायी रूप से विद्युत विच्छेद कर लिया गया हो तथा जिनके द्वारा इस दौरान किसी वैकल्पिक स्रोत से पॉवर का उपयोग कर उत्पादन नहीं किया गया हो,

3. छूट प्राप्त करने के लिये इकाई के क्रेता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इकाई के पुनर्वास की योजना प्रस्तुत करना होगी, जिसमें वह स्वयं की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करेगा। साथ ही क्रेता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समसक्ष यह वचन–पत्र भी देना होगा कि वह इकाई को अठारह माह की समयावधि में पुनः प्रारंभ करेगा एवं शर्त का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा स्टाम्प शुल्क से छूट की राशि लिखत के नि पादन दिनांक से प्रतिमाह या उसके किसी भाग के लिये 0.75 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित देय होगी। इस हेतु उसे उत्पादन के विविधीकरण (diversification) के विकल्प का उपयोग करने का अधिकारी होगा,

4. छूट सक्षम प्राधिकारी के इस आशय के प्रमाण–पत्र के अध्यधीन रहेगी कि लिखत इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने की पात्रता रखती है, उक्त प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :–

क्र.	इकाई का मूल्य/बजार मूल्य	सक्षम प्राधिकारी
1	जहां 1 करोड़ रूपये से अनधिक न हो,	संबंधित जिले का कलेक्टर
2.	जहां 1 करोड़ रूपये से अनधिक न हो,	संबंधितसंभाग का संभागीय अधिकारी

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./
(जगदीश शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.

Govt. of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department
Mantralaya, Vallabh Bhawan, BHOPAL

Bhopal, dated 22.06.2005

No.(33)B-2-10-04-2-(V)-In exercise of the Powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, (No.II of 1899), the State Government hereby remits the stamp duty chargeable under article 22 of the schedule 1-A of the said Act on the instruments of sale of sick or closed industrial units acquired by financial institutions or banks or otherwise or referred to the Board of Industrial Finance and Reconstruction (BIFR) or a liquidator subject to the conditions that :-

(iii) the remission shall be granted only once. On conveyance of assets on which exemption under this notification has been granted once, no exemption in any case shall be granted again;

(iv) the remission shall be granted only to such closed and sick units which are closed at least for last three years or whose electricity is disconnected permanently for last two years due to non production and have not used any alternative source of power for production during this period;

(v) to obtain remission the purchaser of unit will have to produce a scheme for revival of the unit before the competent authority explaning his financial position. Also the purchaser shall give an undertaking before the competent authority that he will revive the industry within eighteen months and in case of violation pay the amount of stamp duty remitted along with an interest at a simple rate of 0.75 percent for every month or part there of from the date of execution of the instrument. For revival he will be entitled to used the option of diversification of the product;

(vi) The remission shall be subject to the certificate of competent authroty to the effect that the instrument is eligible for remission under this notification. The competent authority authorised to issue the said certificate shall be as under :-

No.	Value /Market value of the unit	Competent Authority
1.	Where it does not exceed 1 crore rupees	Collector of concerned District
2.	Where it exceeds 1 crore rupees	Divisional Commissioner of the concerned Division

By order and in the name of the
Governer of Madhya pradesh.
Sd/-
(JAGDISH SHARMA)
Deputy Secratary
Govt.of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department
Mantralaya, Vallabha Bhawan, BHOPAL

{कण्डिका क्रमांक 4.2.13 (फ)}

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 16 / 02 / 2005

क्रमांक–(1)बी–2–10 / 2004 / 2 / पांच, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा, निर्देश देती है कि औद्योगिक इकाईयों के चालू समुत्थान (going-concern) के रूप में विक्रय या विलयन (merger) या समामेलन (amalgamation) की लिखतों पर उक्त अधिनियम की सारणी 1–क के अनुच्छेद 22 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाकर अधिकतम दस लाख रूपये उस स्थिति में किया जाये जबकि प्रभार्य शुल्क की राशि इससे अधिक हो। शुल्क में उक्त कमी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगी–

(1) उक्त लिखत उद्योग की बेहतर क्षमता उपयोग हेतु निष्पादित की गई हो,
(2) उद्योग का उत्पादन ठीक पूर्ववर्त्ती पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा हो,
(3) किसी ऋणदाता बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा इस उद्योग को दिये गये ऋण को ठीक पूर्ववर्त्ती दो वर्षों के लिए नॉन फरफार्मिंग एसेट माना गया हो,
(4) उद्योग की net worth घटकर ठीक पांच वर्ष पहले की net worth से आधे से कम रह गई हो, तथा
(5) उस दशा में जहां उद्योग का विक्रय मूल्य एक करोड़ रूपये से अधिक नहीं हो संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा तथा अन्य मामलों में संबंधित संभाग के आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो कि लिखत इस अधिसूचना के अधीन रियायत प्राप्त करने की पात्रता रखती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता / –
(जगदीश शर्मा)
उप सचिव,
म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग,

{ Para No. 4.2.13 (F)}

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT
Mantralaya Vallabh Bhawan, BHOPAL

NOTIFICATION

Bhopal, dated 16.2.2005

No(1)B-2-10/2004/2/V-

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No 2 of 1899), the State Government hereby directs that the stamp duty chargeable under article 22 of the schedule 1-A of the said Act on sale or merger or amalgamation of industrial units as a going concern be reduced to a maximum of rupees ten lakhs when the amount chargeable exceeds that amount in cases when-

(1) the said instrument is executed for better capacity utillization of the industry;

(2) the production of the industry in any three of the immediately preceding five years has not exceeded 50 percent of the installed capacity;

(3) any bank or financial institution which has extended loan to the industry has considered its loans as non performing asset for immediately preceding two years;

(4) the net worth of the industry has been reduced to less than one half of its net worth immediately preceding five years ago; and

(5) a certificate to the effect that the instrument is eligible for concession under this notification is issued by the collector of the concerned district in cases where the sale price of the industry does not exceeding one crore rupees and by the commissioner of the concerned division in other cases.

By order and in the name of the
Governer of Madhya pradesh.
Sd/-
(JAGDISH SHARMA)
Deputy Secratary
Govt.of Madhya Pradesh
Commercial Taxes Department
Mantralaya, BHOPAL